

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : - देवीलाल यादव (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या : - 17/2023

उनवान


1. महावीर पुत्र स्व. लादू
2. बरजी पुत्री स्व. लादू
3. कालू पुत्र नानू (बन्नी)
4. नाथी पुत्री नानू (बन्नी)
5. मनभर पुत्री नानू (बन्नी) समस्त जातिगण कुम्हार निवासीगण फारकिया तहसील नसीराबाद

--- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद

--- अप्रार्थी :- जरियें राज0 पैरोकार



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :-

दिनांक :- 6/5/24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडी प. म. कानपुरा के खसरा नम्बर 140 रकबा 0.55, 141 रकबा 0.48, 142 रकबा 0.13 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। आवेदनकर्ता अपनी उपरोक्त आराजी में मुख्य रास्ता से होकर हाल खसरा नम्बर 128/2093 सिवायचक में से आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम बनेवडी प. म. कानपुरा के खसरा नम्बर 140 रकबा 0.55, 141 रकबा 0.48, 142 रकबा 0.13 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 128/2093 रकबा 0.30 सिवायचक है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में कोई लघुतम/दीर्घतम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

उक्त मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता बतायी गयी है। कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बताया गया। मार्ग हेतु 9.144 मीटर चौड़ा रास्ता कुल 0.1024 है० आराजी प्रस्तावित किया गया है। किन्तु प्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु आवागमन करना है अतः 5 मीटर चौड़ा मार्ग पर्याप्त होने से प्रार्थी को 5 मीटर चौड़ा कुल 560 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित है। धारा 251 क राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी काश्तकार के पास अपने खातेदारी खेतों में जाने हेतु कोई मार्ग विद्यमान या उपलब्ध नहीं है तो वह अन्य काश्तकार/सिवायचक भूमि में से अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम बनेवडी के खसरा नम्बर 128/2093 रकबा 0.30 में से 5 मीटर चौड़ा कुल 560 वर्ग मीटर भूमि गै०मु० रास्ता सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के एवज में 20939/ अक्षरे बीस हजार नो यो उन्चालीस रूपये का भुगतान राजकोष में होने के बाद रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद